

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

₹.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 2 FEB 2007 12:31 588

(4)

नञ्जल भूखण्ड उपरोक्त पर नञ्जल सम्पत्ति वंजिका में अंकित रहा। पहेंदार श्री एन० के० मुकुर्जी के नियनोपरान्त श्री अनिल नीलमनी मुकुर्जी (श्री ए० एन० मुकुर्जी) श्री सुशील कुमार मुकुर्जी (श्री एस० के० मुकुर्जी) उनके पुत्रगण व श्रीमती तोरुलता मुकुर्जी व श्रीमती प्रीतिलता मुकुर्जी विवाहोपरान्त श्रीमती फरहत रहमान पत्नी श्री जे०० रहमान उनकी पुत्रीगण व विधिक उत्तराधिकारी हुये। तात्परात श्री अनिल नीलमनी मुकुर्जी पुत्र स्वर्गीय एन० के० मुकुर्जी ने दिनांक 18.09.1946 ई० को श्री सीम्युअल सिमियन पुत्र एडवर्ड सिमियन के पक्ष में रजिस्टर्ड जनरल पॉवर ऑफ एटोर्नी (मुद्दारास्नामा) तहरीर व तकमील किया गया जिसको रजिस्ट्री दफ्तर सब रजिस्ट्रार एम्बेड में दिनांक 24.09.1946 ई० को हुई है। इसी प्रकार श्री सुशील कुमार मुकुर्जी पुत्र स्वर्गीय एन० के० मुकुर्जी ने दिनांक 19.10.1946 ई० को श्री सीम्युअल सिमियन पुत्र एडवर्ड सिमियन के पक्ष में रजिस्टर्ड स्पेशल पॉवर ऑफ एटोर्नी (मुद्दारास्नामा) तहरीर व तकमील किया गया जिसकी रजिस्ट्री दफ्तर सब रजिस्ट्रार इलाहाबाद में दिनांक 22.10.1946 ई० को हुई है। इसी प्रकार श्रीमती प्रीतिलता मुकुर्जी पुत्री स्वर्गीय एन० के० मुकुर्जी विवाहोपरान्त श्रीमती फरहत केला के एलाभर

विधेय

V.K. Singhania

अधिवक्ता

अपर जिल्लाधिकारी, (नञ्जल) इलाहाबाद

राज्यपाल 300 ए० को और से तथा

अके द्वारा प्राधिकृत

(अपनी संकर सिंग)

अपर विभागीयारी (नञ्जल)

इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

RS.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 2 FEB 1948

131587

(5)

रहमान पत्नी श्री जेठो एकठो रहमान ने दिनांक 27.08.1946 ई० को श्री सैम्युअल सिमियन पुत्र एडवर्ड सिमियन के पक्ष में रजिस्टर्ड जनरल पॉवर ऑफ एटॉर्नी (मुख्याध्यामा) तहरीर व तकमील किया गया जिसकी रजिस्ट्री दफतर सब रजिस्ट्रार शिमला में दिनांक 30.08.1946 ई० को हुई है। इसी प्रकार श्रीमती तोरुस्तता मुकजी पुत्री स्वर्गीय एन० के० मुकजी व पत्नी कैटन डी०पी०एम० दत्ता ने दिनांक 01.08.1946 ई० को श्री सैम्युअल सिमियन पुत्र एडवर्ड सिमियन के पक्ष में रजिस्टर्ड स्पेशल पॉवर ऑफ एटॉर्नी (मुख्याध्यामा) तहरीर व तकमील किया गया जिसकी रजिस्ट्री दफतर सब रजिस्ट्रार देहरादून में दिनांक 03.09.1946 ई० को हुई है। तत्पश्चात पट्टेदार के उपरोक्त विधिक उत्तराधिकारियों के जनरल व स्पेशल पॉवर ऑफ एटॉर्नी होल्डर श्री सैम्युअल सिमियन पुत्र एडवर्ड सिमियन ने बंगाला नम्बर 6, कानपुर रोड (पुरुषोत्तमदास टगहन रोड) इलाहाबाद का जुजु हिस्सा क्षेत्रफल 2 एकड़ 2979 वर्गगज व उस पर निर्मित समस्त आउट हाउजेज (मकानात) पेड़, बाग, कम्पाउंड वॉल, मय जमीन व मय लमीरात मय लीज़ होल्डर्स राइट्स को, विषय पत्र रजिस्ट्री शुदा दिनांक 23.02.1948 ई० के माध्यम से डा० राधेश्याम श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय केला के हस्ताक्षर

कियेता

V.K. Singh

विशेष पुनर्जात अधिकारी

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल 30 प्र० की ओर से तथा

उनके द्वारा प्रत्यक्षित
(लक्ष्मी रांकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

RS.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

131586

(6)

वॉके बिहारी लाल श्रीवास्तव के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिया जिसकी रजिस्ट्री वही संख्या 1 जिल्द संख्या 850 के पन्ना 197 से 208 में दर्जमोजेज नम्बर 281 पर दिनांक 27.02.1948 ई० को सब रजिस्ट्रार चायल, जिला इलाहाबाद के कार्यालय में हुई है।

तत्पश्चात् नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्ताखारजा खंगला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद क्षेत्रफल 2 एकड़ 2979 वर्गज का पट्टा दि गर्वनर ऑफ़ यूनाइटेड प्रविन्स द्वारा दिनांक 12.02.1949 ई० को डॉ० राधेश्याम श्रीवास्तव के पक्ष में निष्पादित किया गया जो दिनांक 23.02.1948 ई० से 3 वर्ष 7 माह 7 दिन के लिये प्रभावी था। पट्टा विलेख की रजिस्ट्री वही संख्या 1 जिल्द संख्या 869 के पन्ना 247 से 258 में विलेख संख्या 273 के रूप में दिनांक 06.04.1949 ई० को कार्यालय सब रजिस्ट्रार चायल, जिला इलाहाबाद में हुई है और डा० राधेश्याम श्रीवास्तव का नाम नजूल भूखण्ड उपरोक्त पर नजूल सम्पत्ति योजना में पट्टेदार के रूप में अंकित हुआ। पट्टे की 30 वर्षीय अवधि समाप्त होने पर नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्ताखारजा खंगला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद

फैला के ईसाकर

बिहेला

V.K. Singh

विशेष जज, श्रीवास्तव

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद

राज्यपाल 30 म० की ओर से तथा

उन्के द्वारा प्राधिकृत

(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(7)

क्षेत्रफल 2 एकड़ 2979 वर्गज का नवीनीकृत पट्टा दि गर्वनर ऑफ़ यूनाइटेड प्राविन्स द्वारा दिनांक 28.04.1954 ई० को डॉ० राधेश्याम श्रीवास्तव के पक्ष में निष्पादित किया गया जो दिनांक 01.10.1951 ई० से 30 वर्षों के लिये प्रभावी है। नवीनीकरण पट्टा विनोद रजिस्ट्री बही संख्या 1 जिल्द संख्या 982 के पन्ना 344 से 346 में विलेख संख्या 2409 के रूप में दिनांक 27.12.1954 ई० को कार्यालय सब रजिस्ट्रार चायल, जिला इलाहाबाद में हुई है। पट्टेदार डा० राधेश्याम श्रीवास्तव का स्वर्गवास अरसा पूर्व दिनांक 24.06.1983 ई० को हो गया है और उनकी पत्नी श्रीमती तारा श्रीवास्तव का भी स्वर्गवास दिनांक 25.03.2002 ई० को हो गया है और स्वर्गीय पट्टेदार डा० राधेश्याम श्रीवास्तव व उनकी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती तारा श्रीवास्तव ने अपने स्वर्गवास पर डा० अशोक कुमार श्रीवास्तव, विनोद कुमार श्रीवास्तव व ललित कुमार श्रीवास्तव को अपना पुत्रगण व श्रीमती आशा वर्मा व श्रीमती रेनू कुमार को अपनी पुत्रीगण व विधिक उत्तराधिकारी छोड़ा। इस प्रकार डा० अशोक कुमार श्रीवास्तव, विनोद कुमार श्रीवास्तव व ललित कुमार श्रीवास्तव व श्रीमती आशा वर्मा व श्रीमती रेनू कुमार के पुत्रगण, पुत्रीगण के इस्ताखार

मिळता

V.K. Srivastava

विनोद कुमार श्रीवास्तव

अपर जिलाधिकारी, (नजुल) इलाहाबाद
राज्यपाल 30 प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजुल)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 2 FEB 2017 3:58 PM

(B)

व विधिक उत्तराधिकारी की हैसियत से नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्ताखारजा बंगला नंबर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद क्षेत्रफल 2 एकड़ 2979 वर्गज के संयुक्त पट्टेदार हुये। तत्पश्चात स्वर्गीय पट्टेदार डा० राधेश्याम श्रीवास्तव के पुत्रगण, पुत्रीगण व विधिक उत्तराधिकारियों के मध्य नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्ताखारजा बंगला नंबर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद क्षेत्रफल 2 एकड़ 2979 वर्गज व उस पर निर्मित मकान नम्बर पुराना 6, नया 27 (27/6), पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद के सम्बन्ध में आपसी समझौते के अनुष्ठा और फैमिली सेटलमेन्ट हो गया और उक्त ओरल फैमिली सेटलमेन्ट की बाबत एक दस्तावेज कर्तार याददास्त दिनांक 20.03.2015 को स्वर्गीय पट्टेदार डॉ० राधेश्याम श्रीवास्तव के उपरोक्त विधिक उत्तराधिकारियों के मध्य तहरीर व तकमील किया गया जिसके अनुसार विनोद कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० डा० राधेश्याम श्रीवास्तव नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्ताखारजा बंगला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद व उस पर निर्मित मकान नम्बर पुराना 6, नया 27 (27/6), पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद का जुज हिस्सा फैला के इस्ताफर

बिबेक

V.K. Srivastava

विनोद कुमार श्रीवास्तव

अपने जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा

उगके द्वारा प्राप्ति

(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपने जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(9)

जिसका क्षेत्रफल 2012 वर्गमीटर है, मय जमीन व मय जमीन जो सेटलमेन्ट उपरोक्त में संलग्न नक्शों में पोर्शन नम्बर A3 से दिखाया गया है, का तनहा मालिक हुआ। इसी प्रकार डा० अशोक कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० डा० राधे श्याम श्रीवास्तव नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा बंगला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद व उस पर निर्मित मकान नम्बर पुराना 6, नया 27 (27/6), पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद का जुज हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 2012 वर्गमीटर है, मय जमीन व मय जमीन जो सेटलमेन्ट उपरोक्त में संलग्न नक्शों में पोर्शन नम्बर A5 से दिखाया गया है, का तनहा मालिक हुआ। इसी प्रकार ललित कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० डा० राधे श्याम श्रीवास्तव नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा बंगला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद व उस पर निर्मित भवन, का जुज हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 2012 वर्गमीटर है, मय जमीन व मय जमीन जो सेटलमेन्ट उपरोक्त में संलग्न नक्शों में पोर्शन नम्बर A4 से दिखाया गया है, का तनहा मालिक हुआ व इसी प्रकार श्रीमती आशा वर्मा पत्नी श्री के० के० वर्मा व पुत्री स्वर्गीय डा० राधेश्याम श्रीवास्तव नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली केन के इस्ताखर

दिलेता

V.K. Singh

विशेष कुमार श्रीवास्तव

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल 30 म० की ओर से गया

उनके द्वारा प्राधिकृत

(लक्ष्मी शंकर सिंह)

अपर जिलाधिकारी (नजूल),
इलाहाबाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(10)

मुस्ताखरजा बंगला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद व उस पर निर्मित बंगान नम्बर पुराना 6, नया 27 (27/8), पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद का जुज हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 2012 वर्गमीटर है, मय जमीन व मय तामीरात जो सेटलमेन्ट उपरोक्त में संलग्न नक्शे में पौर्षन नम्बर A2 से दिखाया गया है, की तनहा मालिक हुई व इसी प्रकार श्रीमती रेनू कुमार पत्नी श्री डा० अनिल कुमार व पुत्री स्व० डा० राधे श्याम श्रीवास्तव नजूल भूखण्ड संख्या 1, डेली मुस्ताखरजा बंगला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद व उस पर निर्मित मकान नम्बर पुराना 6, नया 27 (27/8), पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद का जुज हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 2012 वर्गमीटर है, मय जमीन व मय तामीरात जो सेटलमेन्ट उपरोक्त में संलग्न नक्शे में पौर्षन नम्बर A1 से दिखाया गया है, की तनहा मालिक हुई।

तदुपस्थात एवेंदार के विधिक उत्तराधिकारी विनोद कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० डा० राधे श्याम श्रीवास्तव ने नजूल भूखण्ड संख्या 1, डेली मुस्ताखरजा बंगला

बंगला के इलाकावर

विशेषता

V.K. Srivastava

विनोद कुमार श्रीवास्तव

अपर डिस्टाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राजधर्माल 30 म० की ओर से जया

उमके द्वारा प्राधिकृत

(सदगी शंकर सिंह)

अपर डिस्टाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु. 1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs. 1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1 FEB 1984 131561

(11)

नम्बर ॐ पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद में अपने अंश भाग के अंश भाग क्षेत्रफल 582 वर्गमीटर भूमि को अपने पक्ष में अहिंसक कराने हेतु उत्तर प्रदेश शासन की नई नज़ूल नीति के अन्तर्गत आवेदनपत्र संख्या 89 दिनांक 31.03.2015 ई० को प्रस्तुत किया गया। जिसका प्रीहोल्ड पट्टेदार के विधिक उत्तराधिकारी विनोद कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० डा० राधे श्याम श्रीवास्तव के पक्ष में किया जा रहा है। इस प्रकार "क्रेता" पट्टा विलेख की अनुसूची में उल्लिखित नज़ूल भूखण्ड, जिसे इस विलेख की अनुसूची में वर्णित किया गया है, का पट्टेदार का विधिक उत्तराधिकारी है।

और चूंकि क्रेता ने इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नज़ूल भूखण्ड जिसका वह पट्टेदार का विधिक उत्तराधिकारी है, प्रदेश की नज़ूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्सारण विषयक शासनादेश संख्या-2288/9-आ-4-98-704एन/97, दिनांक 1-12-1998 एवं शासनादेश संख्या-1956/8-4-08-256 एन/08 दिनांक 21.10.2008 एवं शासनादेश

क्रेता के हस्ताक्षर

सिद्धेता

V.K. Singhania

विनोद कुमार श्रीवास्तव

अपर जिलाधिकारी, (नज़ूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा

उनके द्वारा प्रसिद्ध

(लक्ष्मी शंकर सिंह)

अपर जिलाधिकारी (न०)
इलाहाबाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 1 FEB 2019 131580

(12)

संख्या-1/71/8-4-08-286 एन/08 दिनांक 26.05.2009 एवं शासनादेश संख्या-1566/8-4-11-137 एन/04 दिनांक 28.09.2011 एवं शासनादेश संख्या-01/416/8-4-14-137 एन/2013 दिनांक 04.03.2014 एवं शासनादेश संख्या-03/107/8-4-15-137 एन/15 दिनांक 15.01.2015 में निर्दिष्ट निर्देशानुसार प्रोहोल्ड सैफ्ट घोषित करने तथा उस पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु जिलाधिकारी, जिला-इलाहाबाद को निर्धारित प्राल्प पर प्रार्थना पत्र दिया है।

और चूंकि नखूल भूमि के प्रकण्ड एवं निस्तारण विषयक जारी उपर्युक्त शासनादेशों में निर्दिष्ट निर्देशानुसार शासनादेश संख्या-2288/8-आ-4-08-704एन/97, दिनांक 1-12-1989 एवं शासनादेश संख्या-1858/8-4-08-286 एन/08 दिनांक 21.10.2008 एवं शासनादेश संख्या-1171/8-4-08-286 एन/08 दिनांक 26.05.2009 एवं शासनादेश संख्या-1566/8-4-11-137 एन/04 दिनांक 28.09.2011 एवं शासनादेश संख्या-01/416/8-4-14-137 एन/2013 दिनांक 04.03.2014 एवं शासनादेश संख्या-

केता के हस्ताक्षर

V.K. Srivastava

विशेष प्रमुखीकरण

सिद्धेता

अपर जिलाधिकारी, (नखूल) इलाहाबाद
राज्यपाल 30 प्र० की ओर से तथा

उनके द्वारा प्राधिकृत

(तकनी शक्तिर सिंह)

अपर जिलाधिकारी, (नखूल)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2 FEB 2017 AM 13:15:79

(13)

03/10/78-4-15-137 एन/15 दिनांक 15.01.2015 के अनुसार स्वमूल्यांकन की धनराशि रुपये 24,46,470/- (रुपये चौबीस लाख छियासीस हजार चार सौ सत्तर मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या 11024, दिनांक 20.03.2015 द्वारा तथा दिनांक 07.10.2016 को निर्गमि मांग पत्र संख्या 347/नजूल-एस.एन.सी. XXI-8/89(फ्रीहोल्ड)2016-2017 द्वारा अपेक्षित धनराशि रुपये 92,71,622/- (रुपये बान्ने लाख इक्कहत्तर हजार छः सौ बाइस मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या A 110013 दिनांक 31.12.2016 द्वारा इस प्रकार सम्पूर्ण आकलित निर्यमित मूल्य रुपये 1,17,18,092/- (रुपये एक करोड़ सत्रह लाख अठ्ठारह हजार बान्ने मात्र) क्रेता से प्राप्त करके जिलाधिकारी, जिला-इलाहाबाद आगे वर्णित शर्तों के अधीन इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड को निजी स्वामित्व वाला (फ्री-होल्ड) भूखण्ड घोषित करने तथा उस पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु एतद्वारा सहमत है।

अंतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर तथा संशोधित गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स ऐक्ट 1895 (सन् 1895 ई० का ऐक्ट संख्या 15) के अधीन निश्चित

क्रेता के हस्ताक्षर

V.K. Srivastava

विशेष कुशल अधिकारी

दिवेगा



अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद

राज्यपाल उ० प्र० जी० ओर से तथा

उन्के द्वारा प्राधिकृत

(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 2 1988 A 2407, 3 1578

(14)

यह विलेख साक्षी है कि इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नज़ूल भूखण्ड ज़ेन्ता के पक्ष में क्रीहोल्ड (निजी स्वामित्व) घोषित करने हेतु ज़ेन्ता द्वारा विवेचना को कुल धनराशि रुपये 1,17,18,000/- (रुपये एक करोड़ सत्रह लाख अष्टाष्ट हजार बानवे मात्र) ज़िला-इलाहाबाद स्थित राजकीय कोषागार में उपर्युक्त देजरी पालान द्वारा खिच्ये भुगतान जिसकी प्राप्ति विवेचना एतद्वारा स्वीकार करता है), के प्रतिफलस्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसंखिदाओं और शर्तों जिनका ज़ेन्ता पालन करेगा, को ध्यान में रखकर विवेचना एतद्वारा यह भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है और जो स्पष्टीकरण के लिये इस विलेख से संलग्न मानचित्र में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है को महायोजना में विनिर्दिष्ट आवासीय भू-उपयोग के निमित्त प्रिडिरेक्ट घोषित करते हैं और उस पर ज़ेन्ता को निजी स्वामित्व प्रदान करते हैं और ज़ेन्ता, उसके दाय्याधिकारी तथा समुनिदेशिनी सदा के लिये उसे अपने अधिकार में रखेंगे।

इस विलेख की अनुसूची में वर्णित भूखण्ड या उस पर निर्मित अथवा निर्माण

ज़ेन्ता के पुस्ताकार

विवेचना

V. K. Sinha

विलेख पुनर्परीक्षक

अगर गिलाधिकारी, (नज़ूल) इलाहाबाद
राज्यपाल 20 प्र० की ओर से ज़ेन्ता

उनके द्वारा प्राधिकृत

(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अगर विजाधिकारी (नज़ूल)
इलाहाबाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(15)

किये जाँचि वाले भवन के सम्बन्ध में इस समय देय करों और उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान क्रेता करेगा।

इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या इसके विषय पर यदि कोई भी विवाद, पूतभेद अथवा प्रश्न दोनों पक्षों या उसके दावेदार के बीच कभी उठ खड़ा हो तो यह निर्णय हेतु राज्य सरकार के आवास एवं शाही नियोजन विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव की भेजा जायेगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इस विलेख के दोनों पक्ष उससे बाध्य होंगे।

इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में जो कुछ भी व्यव होगा, क्रेता वहन करेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द "विलेखता" और "क्रेता" के सम्बन्ध में, जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो,

क्रेता के हस्ताक्षर

V.K. Jaiswal

निर्देश द्वारा अधिसूचना

विलेखता

अपर जिलाधिकारी, (नगूल) इलाहाबाद

राज्यपाल 30 प्र० की ओर से तथा

उनके द्वारा प्राधिकृत

(सदस्यी शंकर सिंह)

अपर जिलाधिकारी (नगूल)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(16)

“विक्रेता” में उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समुनिदेशितों का तथा “क्रेता” में उसके दाय्याधिकारियों, निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समुनिदेशितियों का अन्तर्भाव है।

इस विलेख के साक्ष्य में क्रेता और विक्रेता की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने उन विधियों को हस्ताक्षर कर दिये हैं जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी हैं।

इसमें अभिविष्ट अनुसूची निम्नांकित है :-

नजूल से परिवर्तित ग्रीहोल्ड भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा, इलाहाबाद (पार्टी) क्षेत्रफल 582 वर्गमीटर स्थित मोहल्ला पुरुषोत्तम दास टाउन रोड, तहसील सदर, शहर इलाहाबाद जो सलग्न नक्शे में ताल रंग से दिखाया गया है और जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है :-

चौहद्दी :-

पूरब - नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा, इलाहाबाद का अंश भाग क्रेता के हस्ताक्षर

V.K. Gopalrao

विक्रेता कृष्णदेविकावत

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल 30 प्र० की ओर से तथा

उनके द्वारा प्राधिकृत
(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1 FEB 2017 13/5/5

(17)

श्री ललित कुमार श्रीवास्तव का।

पश्चिम - नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा, इलाहाबाद का अंश भाग
श्रीमती आशा वर्मा का।

उत्तर - नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा, इलाहाबाद का अंश भाग।
दक्षिण - पी० डी० टण्डन रोड (कानपुर रोड) इलाहाबाद।

प्रिडिक्ट के लिये केता ने स्वमूल्यांकन की धनराशि रुपये 24,46,470/-
(रुपये चौबीस लाख डियालीस हजार चार सौ सत्तर मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या
11024, दिनांक 20.03.2015 द्वारा तथा निर्गत मांग पत्र की धनराशि रुपये
92,71,622/- (रुपये बानवे लाख इक्कहत्तर हजार छः सौ बाइस मात्र) ट्रेजरी चालान
संख्या A 110013 दिनांक 31.12.2016 द्वारा इस प्रकार सम्पूर्ण मूल्य रुपये

केता के इस्तफार

विशेषता

V.K. Srivastava

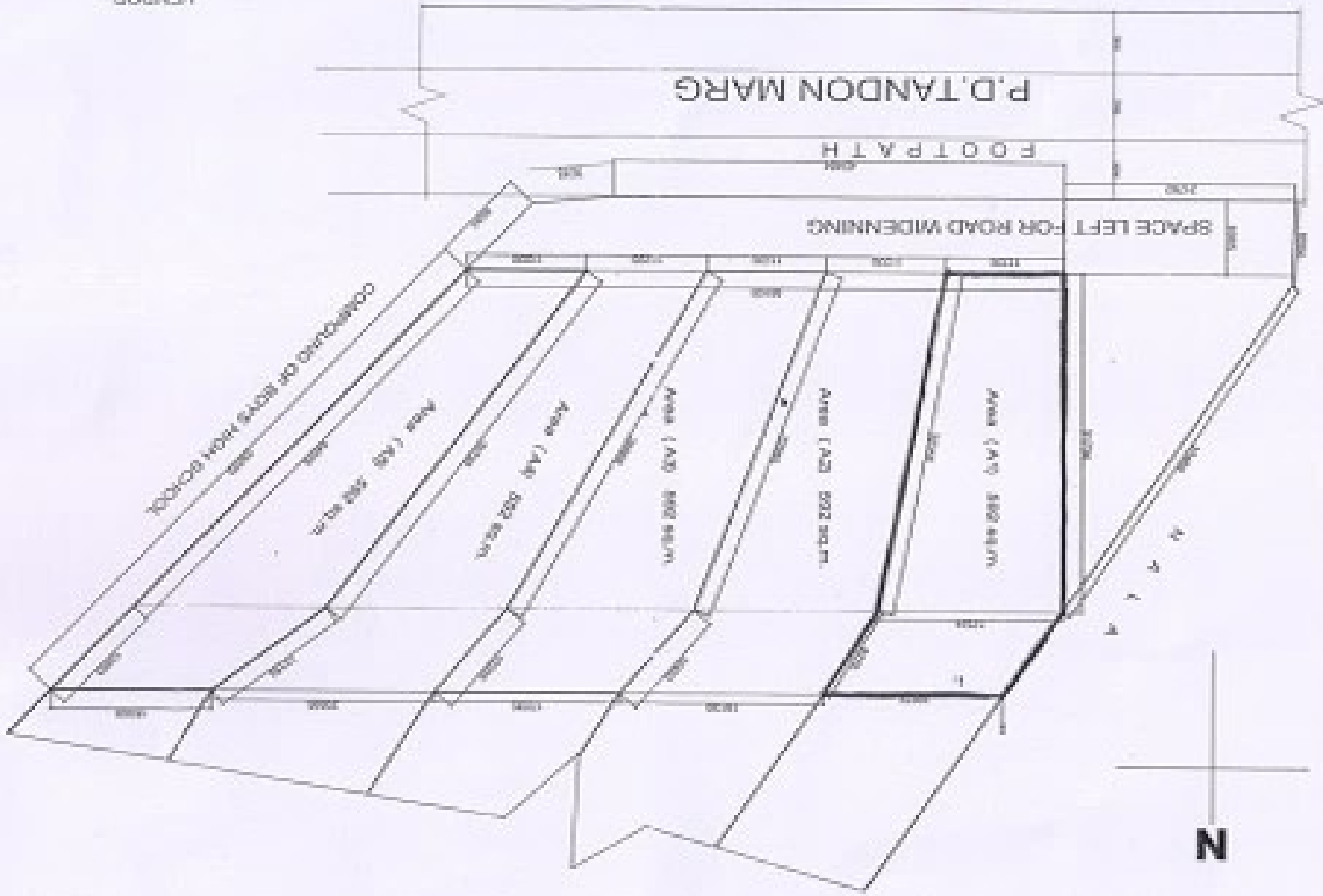
श्रीमती कुमार श्रीवास्तव

अमर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

2010

SITE PLAN OF NAJ, PLOT NO-1, BELI MUSTKHARJA BE, SALOW NO-6, P.D. TANDON
 ROAD, ALLAHABAD, AREA-592.00 SQ.M. WHICH
 APPLIED FOR FREEHOLD IN FAVOUR OF SMT. RENU KUMAR, W/O DR. ANIL KUMAR AND DIOLATE
 DR. RADHEY SHYAM SRIVASTAVA, TOTAL
 AREA OF NAZUL PLOT NO-1, BELI MUSTKHARJA, BUNGLOW NO-6, P.D. TANDON
 ROAD, ALLAHABAD-2, AREA-2979 SQ.YD.

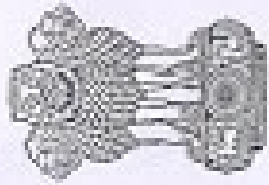


VENDOR

VENDOR

FOR THE PURPOSE OF ALLIANCE WITH
 SMT. RENU KUMAR, W/O DR. ANIL KUMAR

A.D.M. (NAZUL) ALLAHABAD
 FOR AND AUTHORIZED BY
 GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

संपत्ति कागज

Certificate No.

Certificate Issued Date

Account Reference

Unique Doc. Reference

Purchased by

Description of Document

Property Description

Consideration Price (Rs.)

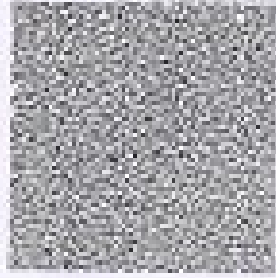
First Party

Second Party

Stamp Duty Paid By

Stamp Duty Amount (Rs.)

: IN-UP020918333095711P
: 17-May-2017 02:28:29M
: SHCE (FV) UP020917 ALLAHABAD/UP-AND
: SUBIN-UPUPSHCE010209183330955P
: VINOD KUMAR SRIVASTAVA S O LATE R S SRIVASTAVA
: Article 23 Copyholder
: Nazul to Converted toehold Plots No. 1 Bell Muchha (a/p D. TONDON
ROAD) 1st, More Details As Per Fresh Hold Deed.
: 1,27,46,000 (Rs.)
: (One Crore Seventeen Lakh Eighteen Thousand And Ninety Two
only)
: A D M NAZUL ON BEHALF OF U P GOVERNOR
: VINOD KUMAR SRIVASTAVA S O LATE R S SRIVASTAVA
: VINOD KUMAR SRIVASTAVA S O LATE R S SRIVASTAVA
: 8,03,400
: (Eight Lakh Three Thousand Four Hundred only)



Please write or type below this line.....

V.K. Singh

(संपत्ति कागज पिन)
अपने संपत्तिपत्र (पिन)
संख्या

0000506816

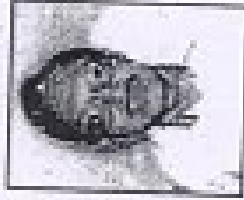
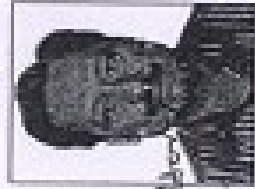
Disclaimer Alert

1. The authenticity of this Stamp Certificate cannot be verified as 'www.e-stamp.gov.in' Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website, hereby is hereby.
2. The intent of creating the Stamp Certificate is to serve the intent of the stamp and
3. In case of any discrepancy, please consult the Competent Authority.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 1 FEB 2017 RB1596



(2)

पट्टागत नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड का विलेख

नजूल भूमि पर निजी स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु फ्रीहोल्ड के प्रमाण पत्र का यह विलेख सन् 2017 ई० के अगस्त माह के २६......वें दिन, तदनुसार शक सम्वत् १९३३ के वैशाख मास के शुक्लपक्ष के १५......वें दिन को उत्तर प्रदेश के राजमण्डल, (जिनको यहाँ आगे चल कर "विलेख" कहा गया है) प्रथम पक्ष तथा विनोद कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० डा० राधे श्याम श्रीवास्तव आधार कार्ड नम्बर मोवाइल नम्बर निवासी मकान नम्बर ३१६, अलोपीवाग, डाकखाना-अलोपीवाग, परगना व तहसील सदर, शहर, इलाहाबाद

केता के हस्ताक्षर

V.K. Singh



विलेख प्रमाण पत्र

विलेख

अपर डिलिवरिबरी, (नजूल) इलाहाबाद

राजमण्डल ३० म० की ओर से तथा

उन्के द्वारा प्रमाणित

(नजमी शंकर सिंह)

अपर डिलिवरिबरी (नजूल)

इलाहाबाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

जिनको यहाँ आगे चलकर "केता" कहा गया है। द्वितीय पक्ष के मध्य लिखा गया है।

चूँकि दि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इन्डिया इन कॉन्सिल एवं श्री एन० के० मुकर्जी के मध्य निष्पादित पट्टा विलेख दिनांक 27.10.1921 जो बही संख्या 1 जिला संख्या 468 के पन्ना 57 में विलेख संख्या 1571 के रूप में सब रजिस्ट्रार चावल, जिला इलाहाबाद के कार्यालय में दिनांक 09.11.1921 ई० को रजिस्टर्ड है, (जिसे आगे 'पट्टा विलेख' कहा गया है और जिसमें दि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इन्डिया इन कॉन्सिल को 'पट्टादाता' और उक्त श्री एन० के० मुकर्जी को "पट्टेदार" कहा गया है) और यह कि उक्त पट्टागत मजदूर भूखण्ड संख्या 1, बेनी मुस्तखारजा, इलाहाबाद जिसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल 2 एकड़ 4423 वर्गज था, का पट्टा, दि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इन्डिया इन कॉन्सिल द्वारा श्री ए०० के० मुकर्जी के पक्ष में दो 30-30 वर्षीय मध्यवर्तीय नवीनीकरण के प्राविधानों के साथ कुल 90 वर्षों के लिये दिनांक 27.10.1921 ई० को निष्पादित किया गया जो दिनांक 01.10.1921 ई० से 30 वर्ष के लिये प्रभावी रहा और श्री एन० के० मुकर्जी का नाम पट्टेदार के रूप में

केता के इस्तफार

दिखेता

V.K. Srivastava

केता के इस्तफार

अपर डिप्टी सिक्रेटरी, (मजदूर) इलाहाबाद
राज्यपाल 30 90 की ओर से तथा

उन्के द्वारा प्राधिकृत

(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर डिप्टी सिक्रेटरी (मजदूर)
इलाहाबाद